SPL NDPS NO- 13/2022
State VS Salikram Sahu

Witness No........01.........for....अभियोजन साक्षी.....-....deposition taken this

................**11**.......day of.... **नवम्बर 2025.**.... Witness's apparent age..**35**.... years

States on affirmative-..........शपथ.../ My name is .....**रमाकांत डहरिया**

Son/W of.......**श्री मानसिंह..** .....Occupation .....**आरक्षक कमांक–99**

Address.........**थाना लालपुर जिला मुंगेली छ0ग0**

1. मैं अदालत हाजिर आरोपी को पहचानता हूं। मैं जुलाई 2025 से थाना लालपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं। दिनांक 12.08.2022 की घटना है। थाना लालपुर के उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा रेड कार्यवाही किये जाने के दौरान उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के साथ मैं अन्य आरक्षकगण के साथ हमराह के रूप में ग्राम कुधुरताल गये हुये थे। उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे को आरोपी के द्वारा गांजा बिक्री किये जाने की मुखबिर सूचना मिली थी उसी सूचना पर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुये उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के साथ अन्य आरक्षकगण एवं मैं ग्राम कुधुरताल में स्थित आरोपी के मकान में गये थे।

02. आरोपी अपने मकान में उपस्थित था। उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा आरोपी को सूचना से अवगत कराते हुये उनकी तथा हमराह स्टाफ की तलाशी लेने हेतु सहमति प्राप्त की गयी जिस पर आरोपी के द्वारा सहमति प्राप्त करने के उपरांत सर्वप्रथम आरोपी एवं गवाह मौके पर उपस्थित गवाहो ने हम हमराह स्टाफ तथा उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे की तलाशी ली गयी। हमराह स्टाफ तथा उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे की तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक सामान प्राप्त नहीं हुआ। उक्त कार्यवाही के संबंध में उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा फोर्स की तलाशी पंचनामा प्र0पी0 01 तैयार किया गया। प्र0पी0 01 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

03. हमराह स्टाफ तथा उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे की तलाशी की तलाशी के उपरांत आरोपी के मकान की तलाशी लेने के लिये आरोपी से सहमति

उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा ली गयी तथा आरोपी के सहमति के पश्चात् आरोपी के मकान की तलाशी गवाहो के समक्ष ली गयी जहां पर आरोपी के मकान के अंदर खाट के नीचे दो पॉलिथीन के पैकेट में एक–एक पैकेट में करीबन एक–एक किलोग्राम गांजा होना रखा पाया गया। मौके पर लालपुर से हमराह आरक्षक भेजकर तौलकर्ता को उसके इलेक्ट्रानिक तराजू सहित माके पर बुलाया गया तथा इलेक्ट्रानिक तराजू का भौतिक सत्यापन किया गया एवं आरोपी के कब्जे से बरामद गांजा का वजन उक्त इलेक्ट्रानिक तराजू से किया गया जिसमें प्रत्येक पैकेट में एक–एक किलोग्राम कुल दो किलोग्राम गांजा होना पाया गया।

04. आरोपी से बरामद दो पैकेट गांजा में से 50–50 ग्राम गांजा निकालकर गवाहों के समक्ष सुंघकर, छूकर, रकडकर देखे जाने के पश्चात् गांजा होना पाया गया। उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा आरोपी के कब्जे में पाये गये गांजा के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने के संबंध में पूछताछ किया गया लेकिन आरोपी के द्वारा उक्त गांजा रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया गया तब मौके पर गवाहो के समक्ष गांजा की जप्ती कार्यवाही कर सीलबंद नमूना सील लगाने की कार्यवाही मौके पर उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा की गयी। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुये उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जी.पी. बेंताल, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

05. यह कहना सही है कि मैं घटना दिनांक को थाना में पदस्थ नहीं था। साक्षी का कथन है कि मैं पुलिस अधीक्षक के विशेष टीम में पदस्थ था। उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा फोन से 05.20 से 05.25 के बीच रेड कार्यवाही हेतु ग्राम कुधुरताल जाने की सूचना दी गयी। मैं थाना प्रभारी के निर्देश पर अपने कार्य हेतु हमराह के रूप में मौके पर गया था लेकिन इस बाबत् कोई

लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि मैं पुलिस अधीक्षक से हमराह जाने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं किया था। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा मुखबिर सूचना का दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है।

06. यह कहना गलत है कि उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा कार्यवाही के किसी भी दस्तावेज में मेरे हस्ताक्षर नहीं लिये गये थे। साक्षी का कथन है कि मैने फोर्स की तलाशी पंचनामा प्र0पी0 01 पर हस्ताक्षर किया हूं। यह कहना सही है कि मैने संपूर्ण कार्यवाही मेरे समक्ष की गयी है ऐसा कोई बयान नहीं दिया हूं। थाना लालपुर से ग्राम कुधुरताल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। मैं नही बता सकता कि ग्राम कुधुरताल में आरोपी के मकान के आसपास किसका–किसका मकान है तथा कौन–कौन निवास करते है। मैं नहीं बता सकता कि उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा गवाहो को नोटिस दी गयी थी या नहीं । यह कहना सही है कि मैं ग्राम कुधुरताल के अलावा बाहर के गांव के अन्य व्यक्तियों को मेरे अधिकारी द्वारा नोटिस दिया है या नहीं मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता कि उपनिरीक्षक एमएस ध्रुवे के द्वारा आरोपी के मकान होने के संबंध में कोई दस्तावेज जप्ती की कार्यवाही की गयी है या नहीं।

07. मुझे जानकारी नही है कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक तराजू को थाना मंगाये थे। यह कहना सही है कि इलेक्टानिक तराजू किस व्यक्ति के नाम पर खरीदा गया गया था मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी का कथन है कि इलेक्ट्रानिक तराजू को जो व्यक्ति लेकर आये थे उसका नाम नहीं मालूम है।

टीपः– चायकाल होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण स्थगित रखा गया।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया सही होना स्वीकार किया।	मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही/	***सही/***
(श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी) **विशेष न्यायाधीश(नारकोटिक्स)** **मुंगेली (छ0ग0)**	**(श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी)** **विशेष न्यायाधीश(नारकोटिक्स)** **मुंगेली (छ0ग0)**

टीपः— चायकाल पश्चात् साक्षी को शपथ दिलाकर पुनः प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

08. यह कहना सही है कि तौलकर्ता का क्या नाम है आज मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मकान कितने बडे एरिया में है तथा उसमें कितने मकान है मैं नहीं जानता। यह कहना सही है कि मकान का क्रमांक कितना है एवं मकान किसके नाम पर है मैं नहीं जानता हूं। यह कहना सही है कि मैं मकान के अंदर प्रवेश नही किया हूं। यह कहना सही है कि उक्त मकान में कौन कौन व्यक्ति थे और कितने व्यक्ति थे मैं नहीं जानता हूं।

09. आज मैं नहीं बता सकता कि फोर्स की तलाशी कितने बजे लिया गया था। यह कहना सही है कि फोर्स की तलाशी के समय जिस व्यक्ति ने मेरा तलाशी लिया उसका हस्ताक्षर मेरे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मेरे समक्ष नहीं कराया गया है। यह कहना गलत है कि दो व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति थे उनके द्वारा हमारी तलाशी ली गयी थी। साक्षी का कथन है कि आरोपी द्वारा हमारी तलाशी ली गयी थी। यह कहना सही है कि मकान आरोपी का ही है एवं उस मकान में आरोपी उपस्थित रहे हो उस संबंध में कोई पहचान कार्यवाही मेरे समक्ष नही किया गया है। यह कहना सही है कि मैं घटना दिनांक को पुलिस अधीक्षक के टीम के साथ दौरे में था। यह कहना गलत है कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी के सिखाये अनुसार आज मैं न्यायालय में बयान दे रहा हूं।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया
सही होना स्वीकार किया।

सही/

(श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी)
विशेष न्यायाधीश(नारकोटिक्स)
मुंगेली (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/

(श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी)
विशेष न्यायाधीश(नारकोटिक्स)
मुंगेली (छ0ग0)